इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 373

भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 अगस्त 2011-श्रावण 12, शक 1933

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2011

क्र. एफ. 3–20–1998–तेरह.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 89 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 180 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2000 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 3 में उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

- ''(1) छठवे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 1 जनवरी 2006 से अध्यक्ष रुपये 80,000 (नियत) वेतन प्रतिमाह प्राप्त करेगा और सदस्य वेतन बेण्ड/वेतनमान रुपये 75,500 (3 प्रतिशत वार्षिक वेतनवृद्धि)—80,000 प्रतिमाह में वेतन प्राप्त करेंगे;
- परन्तु, किसी ऐसे व्यक्ति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति की दशा में जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ है या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम या केन्द्रीय सरकार के स्वशासी निकायों, जैसे नेशनल धर्मल पाँवर कार्पोरेशन लिमिटेड, पाँवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नेशनल हाइडल पाँवर कार्पोरेशन या राज्य सरकार के जैसे मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मंडल या उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों या समतुल्य संगठन के अधीन सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है और जो पेंशन और / या उपादान या अन्य प्रकार की सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के तौर पर कोई सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं प्राप्त करता है या जिसने ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त की हैं, या जो प्राप्त करने का हकदार हो गया है, तो उसके वेतन में से पेंशन की कुल रकम या अंशदायी पेंशन की कुल रकम या अंशदायी भविष्य निधि (सी.पी.एफ.) में नियोक्ता के अंशदान के समतुल्य पेंशन को घटा दिया जाएगा.''

No. F 3-20-1998-XIII.—In exercise of the powers conferred by Section 180 read with sub-section (2) of Section 89 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Salary, Allownces and other service conditions of chairman and members) Rules, 2000, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 3, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) The Chairman shall receive a pay of Rs. 80,000 (fixed) per mensem and the members shall receive a pay in the pay band/Scale of Rs. 75,000 (3 percent annual increment)—80,000 per mensem from 1st January, 2006 as per 6th Pay Commission recommendations;

Provided that in case of an appointment as Chairman or a Member of a person who has retired as a Judge of a High Court or who has retired or taken voluntary retirement from service under the Central Government or a State Government, or public undertakings or autonomus bodies of Central Government like National Thermal Power Corporation Limited, Power Grid Corporation of India Limited, Bharat Heavy Electricals Limited, National Hydel Power Corporation or of State Government like Madhya Pradesh State Electricity Board or its successor campanies or equivalent organization and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension and/or gratuity or other form of retirement benefits, the pay shall be reduced by the gross amount of pension or gross amount of contributory pension or pension equivalent of Employer's contribution in Countributory Provident Fund (CPF)."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहम्मद सुलेमान, सचिव.